

डिग्री व मुकदमें ईत्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:- उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-300/2018

1. प्रीतमसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एमकेएस गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम्

1. जगजीतसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमुखसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति बावरी निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. बलवीरो कौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी हाकमसिंह जाति बावरी निवासी चक 35 एफ. आरायण तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. छिन्द्रकौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति बावरी निवासी चक 7 एफ.डी. एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. गुरदीपकौर पुत्री जगजीतसिंह पत्नी सतनामसिंह जाति बावरी निवासी ढाणी रामसिंह वाली, हनुमानगढ़।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जाभिन मुदई श्री जगदीश प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं0 1 एमकेएस वी के खाता सं0 31 में अंकित प0न0 206/218 मु0 28 के किला नं0 14/1/.126, 17 से 18/.506 है0 23 से 24/.506 है0 कुल 1.138 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं0 1 एमकेएस वी के खाता 31 में से प्रतिवादी सं0 1 जगजीतसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....वावत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक 11.1.2019 अदा करें।

वसदा मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.1.2019 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी